

रोजगार सूचना



भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

मध्य क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल

भारतीय जीवन बीमा निगम प्रशिक्षु विकास अधिकारियों की भर्ती

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) अपने मध्य क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन विविध मण्डल कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र में प्रशिक्षु विकास अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों, जो की भारतीय नागरिक हों, से चयन हेतु ऑन लाईन आवेदन पत्र आमंत्रित करता है।

1. रिक्तियाँ :

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण निम्नानुसार होगा :

| क्र. | मण्डल कार्यालय का नाम | पदों की संभावित संख्या | | | | | | | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | कुल |
|------|-----------------------|------------------------|---------------|----------|-----------------|-----------|------------------|----------|--------------------------|------------|
| | | अनारक्षित | अनुसूचित जाति | | अनुसूचित जनजाति | | अन्य पिछड़ा वर्ग | | | |
| | | | वर्तमान | बैक लॉग | वर्तमान | बैक लॉग | वर्तमान | बैक लॉग | | |
| 1 | भोपाल | 39 | 14 | 2 | 19 | 0 | 14 | 1 | 9 | 98 |
| 2 | बिलासपुर | 9 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 3 | ग्वालियर | 30 | 17 | 0 | 10 | 1 | 7 | 0 | 7 | 72 |
| 4 | इंदौर | 47 | 17 | 1 | 24 | 0 | 17 | 0 | 12 | 118 |
| 5 | जबलपुर | 27 | 10 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 6 | 65 |
| 6 | रायपुर | 20 | 3 | 1 | 19 | 2 | 2 | 2 | 4 | 53 |
| 7 | सतना | 21 | 7 | 0 | 10 | 9 | 7 | 0 | 4 | 58 |
| 8 | शहडोल | 16 | 5 | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 | 3 | 39 |
| | कुल | 209 | 76 | 4 | 113 | 14 | 59 | 3 | 47 | 525 |

रिक्तियों की कुल संख्या, आरक्षित रिक्तियों की संख्या सहित, उम्मीदवारों की अंतिम चयन के समय वास्तविक रिक्तियाँ और साक्षात्कार के बाद सफल उम्मीदवारों की उपलब्धता के आधार पर बढ़ या घट सकती है। विभिन्न श्रेणियों के अधीन आरक्षण अंतिम परिणाम के समय लागू सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

कर्मचारियों के प्रवर्ग से भर्ती किए जानेवाले प्रशिक्षु विकास अधिकारियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी, अभिकर्ता प्रवर्ग से भर्ती किए जानेवाले प्रशिक्षु विकास अधिकारियों की संख्या 25% से अधिक नहीं होगी तथा अन्य प्रवर्ग (ओपन मार्केट) से भर्ती किए जानेवाले प्रशिक्षु विकास अधिकारियों की संख्या प्रशिक्षु विकास अधिकारियों की भर्ती के लिए कुल रिक्तियों की संख्या के 60% से अधिक नहीं होगी।

2. परीक्षा की संभावित समय सारणी :

उम्मीदवार नीचे दी गई तारीखों पर आवेदन पंजीकरण के लिए लॉग इन कर सकते हैं:

| | |
|---|----------------------|
| आवेदनों का ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन शुल्क / इंटीमेशन प्रभार का ऑनलाइन भुगतान प्रारम्भ तिथि | 20 मई, 2019 |
| ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन शुल्क / इंटीमेशन प्रभार का ऑनलाइन भुगतान करने कि अंतिम तिथि | 9 जून, 2019 |
| ऑनलाइन परीक्षा के लिए कॉल लैटर डाउनलोड करना | 29 जून, 2019 से |
| ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा कि तिथि (अनुमानित) | 6 एवं 13 जुलाई, 2019 |
| ऑनलाइन परीक्षा - मुख्य कि तिथि (अनुमानित) | 10 अगस्त, 2019 |

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे विवरण और अपडेट के लिए नियमित रूप से अधिकृत एलआईसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.licindia.in के संपर्क में रहें ।

3. कार्य का स्वरूप :

यह मूलतः **विक्रय पर्यवेक्षण का कार्य** है । चयनित उम्मीदवारों को जीवन बीमा अभिकर्ताओं की नियुक्ति हेतु योग्य व्यक्तियों को प्रायोजित करना होगा, उनको प्रशिक्षित करना होगा, तथा उन्हें अधिकतम व्यक्तियों को जीवन बीमा विक्रय करने में मदद करनी होगी । उन्हें ग्राहकों को विक्रय पश्चात त्वरित सेवा प्रदान करना होगा । **इस उद्देश्य हेतु निर्धारित क्षेत्र में व्यापक दौरे करने होंगे ।**

प्रशिक्षु विकास अधिकारियों के रूप में भर्ती शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है और चयनित उम्मीदवारों को इन क्षेत्रों में काम करना होगा।

यह संभावना है कि चयनित उम्मीदवारों में से कुछ उम्मीदवारों को क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारक्षेत्र के तहत निकट के मंडल कार्यालय / यों के क्षेत्राधिकार में नियुक्त किया जा सकता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रशिक्षु विकास अधिकारी के रूप में हुई नियुक्ति, उम्मीदवारों को परिवीक्षाधीन विकास अधिकारी के रूप में नियुक्त होने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है।

4. पारिश्रमिक व हितलाभ :

प्रशिक्षु कार्यकाल के दौरान चयनित प्रशिक्षु विकास अधिकारी को भत्ते के रूप में प्रतिमाह, निगम के नियमानुसार, एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाएगा। एक प्रशिक्षु विकास अधिकारी (कर्मचारी प्रवर्ग के अतिरिक्त) को प्रशिक्षु कार्यकाल प्रारम्भ होने के तिथि से विकास अधिकारी को देय वेतनमान का न्यूनतम मूलवेतन तथा उस पर लागू महंगाई भत्ते के बराबर भुगतान किया जाएगा। वर्तमान में अनुमानित वृत्तिका ₹ 34503/- प्रतिमाह (कर्मचारी प्रवर्ग से चयनित प्रशिक्षु विकास अधिकारी के अतिरिक्त) है।

परिवीक्षाधीन विकास अधिकारी को एक निर्दिष्ट हेडक्वार्टर पर नियुक्ति के लिए निगम के नियमानुसार क्रमशः वेतनमान ₹ **21865-1340(2)-24545-1580(2)-27705-1610(17)-55075** व लागू भत्ते एवं अन्य लाभ देय होगा ।

परिवीक्षाधीन विकास अधिकारी के रूप में नियुक्ति पर मूल वेतन रु.**21865/-** प्रतिमाह (कर्मचारी प्रवर्ग से चयनित प्रशिक्षु विकास अधिकारी के अतिरिक्त) वेतनमान रु.**21865-1340(2)-24545-1580(2)-27705-1610(17)-55075** के तहत एवं अन्य स्वीकार्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे । शहर के वर्गीकरण के आधार पर, जहाँ भी स्वीकार्य हो, हाउस रेंट अलाउंस और सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस को मिलाकर, कुल वित्तलब्धी, 'ए' वर्ग शहर में वेतनमान के न्यूनतम स्लैब पर अनुमानित ₹.37,345 / - प्रतिमाह होगी।

अन्य सुविधाएँ : उपदान (ग्रॅच्युइटी), Defined Contributory Pension Scheme, अवकाश यात्रा रियायत, चिकित्सा हितलाभ, समूह बीमा, समूह वैयक्तिक दुर्घटना बीमा, वाहन अग्रिम (दो पहिया /चार पहिया), नियमानुसार देय होगा तथा ब्रीफकेस/लैडर बैग की लागत प्रतिपूर्ति, मोबाइल हैंडसेट एवं दैनिक समाचारपत्र की आपूर्ति नियमानुसार देय होगी। सेवा में स्थायीकरण के पश्चात आकर्षक विपणन प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना लागू होगी ।

5. प्रशिक्षता अवधि :

प्रशिक्षु विकास अधिकारियों को क्लासरूम और फील्ड सेल्स ट्रेनिंग दिया जाएगा। प्रशिक्षता की अवधि, प्रशिक्षण शुरू होने की तारीख से शुरू होगी।

6. परिवीक्षा :

प्रशिक्षु विकास अधिकारी, जो सफलतापूर्वक प्रशिक्षु कार्यकाल पूरा करता है तथा भर्ती प्राधिकारी की राय में, निगम की सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त है, को विकास अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और परिवीक्षा पर रखा जा सकता है। परिवीक्षा की अवधि एक वर्ष के लिए होगी, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

7. योग्यता शर्तें : 01.05.2019 को योग्यता शर्तें निम्नानुसार होगी:

भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात्, अभिकर्ता श्रेणी, कर्मचारी श्रेणी और ओपेन मार्केट श्रेणी।

अभिकर्ता श्रेणी का अर्थ है :

- (i) ऐसा कोई व्यक्ति जो निगम से संबन्धित निगम की पॉलिसियों की निरंतरता, नवीकरण अथवा पुनःप्रवर्तन से संबन्धित व्यवसाय सहित बीमा कारोबार याचित करने या उपाप्त करने के प्रयोजन के लिए निगम द्वारा नियुक्त या नियोजित किया गया हो; अथवा
- (ii) ऐसा कोई व्यक्ति जो भारतीय जीवन बीमा निगम (अभिकर्ता) विनियम, 2017 के अधीन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया हो ।

स्पष्टीकरण:

शंकाओं के निराकरण के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि एलआईसी द्वारा नियुक्त या **डायरेक्ट सेल्स एक्सिक्युटिव्स /फायनेनशल सर्विस एक्सिक्युटिव्स**, या भारतीय जीवन बीमा निगम (अभिकर्ता) विनियम, 2017 के तहत अभिकर्ता के रूप में नियुक्त अभिकर्ता, प्रशिक्षु विकास अधिकारी के रूप में भर्ती के लिए पात्र होगा ।

‘कर्मचारी श्रेणी’ से स्थाई पूर्णकालीन वैतनिक कर्मचारी तृतीय श्रेणी अभिप्रेत है।

‘अन्य श्रेणी’ का अर्थ है, ओपेन मार्केट से उम्मीदवार ।

a) अर्हताएँ:

- (i) शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कर्मचारी श्रेणी और अभिकर्ता श्रेणी के लिए - आवेदक के पास भारत में स्थापित विश्वविद्यालय या इस उद्देश्य के लिए अनुमोदित विश्वविद्यालय की किसी भी विषय में स्नातक डिग्री अथवा भारतीय बीमा संस्थान, मुंबई से फेलोशिप होनी चाहिए ।
- (ii) शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रशिक्षु विकास अधिकारी के रूप में भर्ती के लिए अन्य श्रेणी के आवेदक के पास भारत में स्थापित विश्वविद्यालय या इस उद्देश्य के लिए अनुमोदित विश्वविद्यालय की किसी भी विषय में स्नातक डिग्री अथवा भारतीय बीमा संस्थान, मुंबई से फेलोशिप होनी चाहिए ।

उन आवेदकों को वरीयता दी जा सकती है जो बीमा विपणन का अच्छा ज्ञान रखते हों तथा जो विधि सम्मत भारत में स्थापित, किसी विश्वविद्यालय अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी संस्थान अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से विपणन में व्यवसाय प्रशासन की मास्टर डिग्री अथवा विपणन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा रखते हों ।

टिप्पणी :

‘मान्यता प्राप्त संस्थान’ का अर्थ है ऐसा संस्थान जो किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार है और वे उपरोक्त पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं। किसी भी समकक्ष शैक्षणिक योग्यता को पात्र नहीं माना जाएगा।

उल्लिखित सभी शैक्षणिक योग्यता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त / सरकारी विनियामक द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय / संस्थान / बोर्ड से होनी चाहिए, और परिणाम 01.05.2019 को या उससे पूर्व घोषित किया होना चाहिए। साक्षात्कार के समय परिणाम 01.05.2019 को या उससे पूर्व घोषित होने के बोर्ड / विश्वविद्यालय से उचित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा। परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि, जिस पर योग्यता की गणना की जाएगी, वह अंक पत्र / वैकल्पिक प्रमाणपत्र पर वर्णित उत्तीर्ण होने की तिथि होगी।

b) **आयु :**

i) आवेदक की न्यूनतम आयु दिनांक 01.05.2019 को **21 वर्ष (पूर्ण वर्ष में)** और अधिकतम **30 वर्ष (पूर्ण वर्ष में)** से अधिक नहीं होनी चाहिए। **अर्थात् दिनांक 01.05.2019 को उम्मीदवारों का जन्म 02.05.1989 से पहले न हुआ हो और 01.05.1998 के बाद न हुआ हो (दोनों दिन सम्मिलित)।**

ii) **नीचे दिए गए समूह से संबंधित एक आवेदक की ऊपरी आयु सीमा (पूर्ण वर्ष में) 01.05.2019 को नीचे उल्लिखित आयु से अधिक नहीं होगी: -**

| क्र. | श्रेणी | आयु सीमा वर्षों में |
|------|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य। | 35 |
| 2. | अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य (क्रीमी लेयर में लोगों के अलावा)। | 33 |
| 3. | निगम के कर्मचारी जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य नहीं हैं। | 42 |
| 4. | निगम के कर्मचारी जो अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमी लेयर के अलावा) का सदस्य है। | 45 |
| 5. | निगम के कर्मचारी जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। | 47 |
| 6. | निगम के अभिकर्ता/ अभिकर्ता के अतिरिक्त डायरेक्ट सेल्स एक्सिक्युटीव्स /फायनेनशल सर्विस एक्सिक्युटीव्स)जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य नहीं है। | 40 |
| 7. | निगम के अभिकर्ता/ अभिकर्ता के अतिरिक्त (डायरेक्ट सेल्स एक्सिक्युटीव्स /फायनेनशल सर्विस एक्सिक्युटीव्स) जो अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य है (क्रीमी लेयर के अलावा)। | 43 |
| 8. | निगम का अभिकर्ता / अभिकर्ता के अतिरिक्त (डायरेक्ट सेल्स एक्सिक्युटीव्स / फायनेनशल सर्विस एक्सिक्युटीव्स)जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। | 45 |
| 9. | भूतपूर्व सैनिक | 30, एवं सशस्त्र सेना में की गई सेवा वर्षों की संख्या , अधिकतम आयु 45 वर्ष, यदि वह अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य है, 47 वर्ष यदि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है , और अधिकतम 42 वर्ष, यदि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित |

| | | |
|-----|----------|--|
| | | जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के अलावा अन्य वर्ग का है। |
| 10. | अन्य सभी | 30 |

c) **अनुभव:**

आवेदक को 01.05.2019 के अनुसार अपेक्षित अनुभव निम्नानुसार है :

| आवेदक की श्रेणी | शहरी क्षेत्र में भर्ती के लिए | ग्रामीण क्षेत्र में भर्ती के लिए |
|---------------------|--|--|
| i) कर्मचारी वर्ग | श्रेणी III के पद में स्थायी होने के बाद 3 वर्षों से कम सेवा न हो। | |
| ii) अभिकर्ता श्रेणी | अभिकर्ता के रूप में और अभिकर्ता के अतिरिक्त (जैसे डायरेक्ट सेल्स एक्सिक्युटीव्स / फायनेनशल सर्विस एक्सिक्युटीव्स) के रूप में 5 वर्ष से कम कार्य न किया हो एवं पिछले तुरंत प्रारंभ हुए 5 वित्तीय वर्षों में कम से कम 5 लाख शुद्ध प्रथम वर्षीय प्रीमियम आय अर्जित किया हो एवं इन 5 वर्षों में से, किन्ही 3 वर्षों में, प्रत्येक में कम से कम 50 जीवनों पर ₹.1,00,000/- शुद्ध प्रथम वर्षीय प्रीमियम आय अर्जित की हो । | अभिकर्ता के रूप में और अभिकर्ता के अतिरिक्त (जैसे डायरेक्ट सेल्स एक्सिक्युटीव्स /फायनेनशल सर्विस एक्सिक्युटीव्स) के रूप में 4 वर्ष से कम कार्य न किया हो, एवं पिछले तुरंत प्रारंभ होने वाले 4 वित्तीय वर्षों में से, किन्ही 3 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में कम से कम 50 जीवनों पर ₹.1,00,000/- शुद्ध प्रथम वर्षीय प्रीमियम आय अर्जित की हो । |
| iii) अन्य | ऐसे उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी जिनके पास जीवन बीमा उद्योग में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव हो. | |

नोट:

शुद्ध प्रथम वर्ष प्रीमियम से अभिप्रेत है, किसी अभिकर्ता/ अभिकर्ता व्यतिरिक्त (डायरेक्ट सेल्स एक्सिक्युटीव्स / फायनेनशल सर्विस एक्सिक्युटीव्स) द्वारा तत्काल सुसंगत पूर्व संबंधित वित्तीय वर्षों संख्या के दौरान लाया गया प्रीमियम नगद या चेक के द्वारा, चेक के संबंध में जो बाद में अस्वीकृत नहीं किया गया है, जो नये व्यवसाय हेतु सहित प्रथम वर्ष के नवीकरण प्रीमियम लाया गया है जिसमें से कालातीत हुई प्रीमियम राशि से घटाई गई ऐसे प्रथम वर्ष प्रीमियम जिसे प्रशिक्षु विकास अधिकारी के रूप में भर्ती हेतु आवेदन की तारीख के संदर्भ में गिना जाता है।

- (i) "ग्रामीण क्षेत्र" का अर्थ है, 30,000 की जनसंख्या या उससे कम का क्षेत्र और कार्य क्षेत्र के लिए एक लाख की जनसंख्यावाला क्षेत्र ।
- (ii) "शहरी क्षेत्र" का अर्थ एक ऐसा क्षेत्र है जो ग्रामीण क्षेत्र नहीं है ।

व्याख्या : शंकाओं के निराकरण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि अभिकर्ता की पति / पत्नी प्रशिक्षु विकास अधिकारी की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे ।

8. चयन प्रक्रिया:

चयन ऑन लाइन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा और इसके बाद ऑन लाइन परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का साक्षात्कार होगा और बाद में नियुक्ति पूर्व चिकित्सा परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा ।

(I) ओपन मार्केट श्रेणी के लिए ऑन लाइन टेस्ट:

ओपन मार्केट श्रेणी से प्रशिक्षु विकास अधिकारी का चयन दो चरण की परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा ।.

चरण-I: प्रारंभिक परीक्षा:

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। परीक्षा के निम्नानुसार तीन भाग (प्रत्येक अनुभाग के लिए अलग समय के साथ) होंगे :

| अनुभाग | परीक्षा का नाम | प्रश्नों की संख्या | अधिकतम अंक | परीक्षा का माध्यम | अवधि |
|--------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|---------|
| 1 | तर्क क्षमता | 35 | 35 | अंग्रेजी और हिंदी | 20 मिनट |
| 2 | संख्यात्मक योग्यता | 35 | 35 | अंग्रेजी और हिंदी | 20 मिनट |
| 3 | अंग्रेज़ी | 30 | 30** | अंग्रेज़ी | 20 मिनट |
| कुल | | 100 | 70 | | 1 घंटा |

** अंग्रेजी भाषा की परीक्षा अर्हता प्रकृति की होगी और अंग्रेजी भाषा में अंकों को रैंकिंग के लिए नहीं गिना जाएगा।

प्रत्येक श्रेणी में रिक्तियों की संख्या के 20 गुना के बराबर उम्मीदवारों को उपलब्धता के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किया जाएगा।

चरण-II: मुख्य परीक्षा:

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की मुख्य परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा में 150 अंकों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न शामिल होंगे।

| अनुभाग | परीक्षा का नाम | प्रश्नों की संख्या | अधिकतम अंक | परीक्षा का माध्यम | अवधि |
|--------|--|--------------------|------------|-------------------|--------------|
| 1 | तर्क क्षमता और संख्यात्मक योग्यता | 50 | 50 | अंग्रेजी और हिंदी | कुल 120 मिनट |
| 2 | सामान्य ज्ञान, वर्तमान मामलों और व्याकरण और शब्दावली पर विशेष जोर के साथ अंग्रेजी भाषा | 50 | 50 | अंग्रेजी और हिंदी | |
| 3 | बीमा और वित्तीय विपणन जागरूकता जीवन बीमा और वित्तीय क्षेत्र के ज्ञान पर विशेष जोर के साथ | 50 | 50 | अंग्रेजी और हिंदी | |
| कुल | | 150 | 150 | | |

(II) अभिकर्ता और कर्मचारी श्रेणी के लिए ऑन-लाइन परीक्षा :

अभिकर्ता और कर्मचारी वर्ग से प्रशिक्षु विकास अधिकारी का चयन **एकल चरण की परीक्षा** यानी मुख्य परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा।

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की मुख्य परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। **मुख्य परीक्षा में 150 अंकों के लिए वस्तुनिष्ठ टेस्ट शामिल होंगे।**

(i) अभिकर्ता श्रेणी के लिए :

| अनुभाग | परीक्षा का नाम | प्रश्नों की संख्या | अधिकतम अंक | परीक्षा का माध्यम | अवधि |
|--------|---------------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------|
| 1 | तर्क क्षमता और संख्यात्मक | 25 | 10 | अंग्रेजी और हिंदी | कंपोजिट १२० |

| | | | | | |
|-----|--|-----|-----|-------------------|------|
| | योग्यता | | | | मिनट |
| 2 | सामान्य ज्ञान, वर्तमान मामलों और व्याकरण और शब्दावली पर विशेष जोर के साथ अंग्रेजी भाषा | 25 | 15 | अंग्रेजी और हिंदी | |
| 3 | बीमा और बीमा के विपणन के तत्व । | 50 | 125 | अंग्रेजी और हिंदी | |
| कुल | | 150 | 150 | | |

(ii) **कर्मचारी वर्ग के लिए:**

| अनुभाग | परीक्षा का नाम | प्रश्नों की संख्या | अधिकतम अंक | परीक्षा का माध्यम | अवधि |
|--------|--|--------------------|------------|-------------------|------------------|
| 1 | तर्क क्षमता और संख्यात्मक योग्यता | 25 | 25 | अंग्रेजी और हिंदी | कंपोजिट 120 मिनट |
| 2 | सामान्य ज्ञान, वर्तमान मामलों और व्याकरण और शब्दावली पर विशेष जोर के साथ अंग्रेजी भाषा | 25 | 25 | अंग्रेजी और हिंदी | |
| 3 | अभ्यास और बीमा विपणन के सिद्धांत | 50 | 100 | अंग्रेजी और हिंदी | |
| कुल | | 150 | 150 | | |

एलआईसी परीक्षा की पद्धति को संशोधित करने का अधिकार रखता है जिसके बारे में वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा। **परीक्षा के संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी सूचना पत्रक में दी जाएगी जो उम्मीदवारों को एलआईसी की वेबसाइट www.licindia.in से कॉल लेटर्स के साथ डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।**

उम्मीदवार को प्रत्येक भाग के लिए अलग-अलग न्यूनतम योग्यता अंक और परीक्षा (प्रारंभिक और मुख्य) तथा साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम औसत अंक प्राप्त करने होंगे। प्रत्येक पेपर और कुल में प्राप्त होने वाले न्यूनतम अंक एलआईसी द्वारा तय किए जाएंगे। रिक्तियों की संख्या के अनुरूप ऑन-लाइन परीक्षा और / अथवा साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित रखने के उद्देश्य से एलआईसी पात्रता मानदंडों और साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम अंकों को तय करने का अधिकार रखती है। इस संबंध में निगम का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा। इस संबंध में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

सही एवं गलत उत्तरों के पहचान करने के लिए अन्य उम्मीदवारों के साथ व्यक्तिगत उम्मीदवारों की प्रतिक्रियाएं (उत्तर) का विश्लेषण किया जाएगा। यदि इस संबंध में अपनाई गई विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में यह अनुमानित/निष्कर्ष निकाला जाता है कि प्रतिक्रियाएं साझा की गई हैं और प्राप्त किए गए स्कोर वास्तविक/वैध नहीं हैं, तो एलआईसी के पास संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द करने का अधिकार है और ऐसे उम्मीदवारों के रिजल्ट को (अयोग्य) रोक दिया जाएगा।

विभिन्न सत्रों (यदी होते हैं) में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त स्कोर समान- प्रतिशत बराबर विधि का उपयोग करके सामान्य किया जाएगा।

गलत उत्तरों के लिए जुर्माना नहीं लगेगा। हालांकि, उम्मीदवारों को यादृच्छिक अनुमान के माध्यम से जवाब चिह्नित नहीं करने की सलाह दी जाती है।

निम्नलिखित प्रक्रिया के उपयोग द्वारा परीक्षा का स्कोर निर्धारित किया जाएगा:

- उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सही दिए गए उत्तरों की संख्या के आधार पर स्कोर प्राप्त किया जाएगा।
- समान अंक निर्धारित करने के लिए विभिन्न सत्रों में आयोजित प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में कठिनाई स्तर (यदि कोई हो) छोटे अंतर को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए स्कोर को समकक्ष बनाया जाता है।

* सभी प्रारूपों के स्कोर के वितरण पर विचार करते हुए, किसी भी परीक्षा में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए स्कोर को समकक्ष बनाया जाता है।

(iii) परीक्षा वार स्कोर और कुल स्कोर को दशमलव बिंदु के दो अंकों तक दर्ज किया जाएगा।

(III) साक्षात्कार:

केवल मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों को साक्षात्कार के लिए चयनित करने हेतु विचार किया जाएगा और मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों + साक्षात्कार में प्राप्त अंकों पर उम्मीदवारों की अंतिम मेरिट सूची निर्भर करेगी।

- I. रिक्त पदों की संख्या के अनुरूप, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या सीमित रखने के उद्देश्य से एलआईसी पात्रता मानदंडों और साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम अंकों को तय करने का अधिकार रखती है। अधिकतम साक्षात्कार अंक 37 है।
- II. दो या अधिक उम्मीदवारों के एक समान अंक आने के स्थिति में, उम्मीदवारों के ऐसे समूह का योग्यता क्रम मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में कुल अंकों के अनुसार होगा और इसके बाद उनकी अतिरिक्त स्नातकोत्तर अर्हता (अर्थात् उच्चतर शैक्षणिक योग्यता प्राप्त उम्मीदवार को मेरिट क्रम में उच्च रखा जाएगा) और शैक्षिक योग्यता में भी समानता होने पर, योग्यता क्रम आयु के आधार पर तय किया जाएगा, (यानी आयु में वरिष्ठ होने पर योग्यता क्रम में ऊँचा स्थान दिया जाएगा)।
- III. मुख्य सूची में सफल घोषित न किए गए उम्मीदवारों के लिए कोई संभावित/प्रतीक्षा सूची नहीं होगी।

(IV) भर्ती पूर्व चिकित्सा परीक्षा:

चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षु विकास अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा बशर्ते कि वह इस प्रयोजन के लिए एलआईसी द्वारा प्राधिकृत चिकित्सा परीक्षक द्वारा चिकित्सीय रूप से योग्य पाया जा सके।

9. अ.जा/अ.ज.जा./अ.पि.व. उम्मीदवारों के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण:

अ.जा/अ.ज.जा./अ.पि.व. उम्मीदवारों के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण का प्रावधान है। परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण का लाभ लेने के इच्छुक एससी/एसटी/ओबीसी उम्मीदवारों को ऑन लाइन आवेदन करते समय विकल्प का प्रयोग करना चाहिए।

जिन अ.जा/अ.ज.जा./अ.पि.व. उम्मीदवारों ने ऑन लाइन आवेदन करते समय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण का विकल्प चुना है, वे भारतीय जीवन बीमा निगम के जिस मण्डल कार्यालय में आवेदन किया है उस मंडल कार्यालय के सीनियर डिवीजनल मैनेजर से ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के एक सप्ताह के भीतर संपर्क कर सकते हैं। मंडल कार्यालय में पंजीकृत उम्मीदवारों को प्रशिक्षण की तिथि व स्थान की जानकारी दी जाएगी। ऐसे उम्मीदवारों को उनकी स्वयं के खर्च पर नियुक्त तिथियों तथा उन्हें सलाह स्थल पर प्रशिक्षण में उपस्थित होना होगा। एलआईसी के डिविजनल ऑफिसर के पते देखने के लिए वेबसाइट पर "करियर" टैब देख सकते हैं।

10. परीक्षा केंद्र का चयन

- संबंधित कॉल लेटर में दिए गए स्थलों पर परीक्षा ऑनलाइन किया जाएगा।
- परीक्षा के लिए केन्द्र/स्थान/तिथि/सत्र में परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- तथापि, निगम किसी भी परीक्षा केन्द्र को रद्द करने और/अथवा कुछ अन्य केन्द्रों को अपने विवेकानुसार प्रत्युत्तर, प्रशासनिक व्यवहार्यता आदि के आधार पर जोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- निगम के पास किसी भी केंद्र को उम्मीदवार को आवंटित करने का अधिकार भी सुरक्षित है।
- उम्मीदवार किसी परीक्षा केंद्र पर अपने जोखिम व खर्च पर परीक्षा देने के लिए उपस्थित होंगे और किसी भी प्रकार की चोट या नुकसान आदि के लिए निगम जिम्मेदार नहीं होगा।

- उम्मीदवार केवल एक केन्द्र का चयन कर आवेदन पत्र में इंगित करें। एक बार उम्मीदवार द्वारा इंगित किए गए केंद्र का चयन अंतिम होगा।
- यदि पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार "ऑनलाइन" परीक्षा के लिए किसी विशेष केंद्र का विकल्प नहीं चुनते हैं, तो उन उम्मीदवारों को किसी अन्य निकटवर्ती केंद्र को आवंटित करने का अधिकार निगम अपने पास सुरक्षित रखती है या यदि उम्मीदवारों की संख्या ऑनलाइन परीक्षा के लिए उपलब्ध क्षमता से अधिक है तो निगम के पास उम्मीदवार को कोई अन्य केंद्र आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित है। उम्मीदवारों को दिनांक/केंद्र/परीक्षा स्थल में परिवर्तन होने पर ई-मेल और एसएमएस द्वारा तदनुसार सूचित किया जाएगा।
- प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्र की सूची अनुबंध -I में दी गई है।

11. मण्डल कार्य का चयन :

सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भर्ती अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं। उम्मीदवार केवल एक मण्डल के लिए ही आवेदन कर सकता है।

| क्र. | मण्डल |
|------|----------|
| 1. | भोपाल |
| 2. | बिलासपुर |
| 3. | ग्वालियर |
| 4. | इंदौर |
| 5. | जबलपुर |
| 6. | रायपुर |
| 7. | सतना |
| 8. | शहडोल |

12. गारंटी बॉन्ड:

प्रशिक्षु विकास अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से न्यूनतम चार वर्ष की अवधि के लिए (प्रशिक्षुता अवधि सहित) निगम की सेवा करने के लिए एक वचनपत्र देना होगा और ऐसा नहीं करने पर उसके उत्तराधिकारी निष्पादक, प्रशासक परिसमापन हर्जाना ₹ 25000/- मात्र (केवल 25000 रुपये) करने के लिए उत्तरदायी होंगे। उम्मीदवार को ₹ 25000/- (केवल 25000/- रुपये) का क्षतिपूर्ति बॉन्ड जमा करना होगा और उसे ठोस वित्तीय स्थिति के जमानती के द्वारा निष्पादित किया जाएगा। बॉन्ड का स्टैप मूल्य उस राज्य पर लागू होगा, जिसमें बॉन्ड निष्पादित किया जाता है।

13. कदाचार के दोषी पाए गए उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्रवाई/अनुचित साधनों का उपयोग:

- उम्मीदवारों को अपने हित में सलाह दी जाती है कि उन्हें कोई भी गलत / झूठी सूचना नहीं देनी चाहिए और किसी भी प्रकार की तात्विक जानकारी से छेड़छाड़ अथवा छिपाना नहीं चाहिए।
- परीक्षा/साक्षात्कार परिसर में मोबाइल फोन, पेजर, कैलकुलेटर या ऐसे किसी भी उपकरण का उपयोग प्रतिबंधित है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे मोबाइल फोन आदि सहित किसी भी निषिद्ध वस्तु को परीक्षा स्थल पर न लाएं क्योंकि सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा सकती।
- भर्ती के किसी भी चरण में अगर कोई उम्मीदवार दोषी पाया जाता है -
 - i. परीक्षा या साक्षात्कार के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करना,
 - ii. किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे के स्थान पर परीक्षा देना,
 - iii. परीक्षा केंद्र / साक्षात्कार हॉल में दुर्व्यवहार करना या परीक्षा की सामग्री किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से उसके भाग में या उसके हिस्से में कोई जानकारी किसी भी प्रयोजन के लिए मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या यंत्रवत् माध्यम से प्रकट करना, प्रकाशन, पुनर् उत्पादन, संचारण, भंडारण करना,
 - iv. चयन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारी के संबंध में किसी भी गलत साधन (अनियमितता) का उपयोग करना,
 - v. अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी अनियमित या अनुचित साधनों का सहारा लेना

इस तरह का कोई भी उम्मीदवार अपराधिक दंडात्मक प्रक्रिया के तहत कार्यवाही के अतिरिक्त :

- a) परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा ;
- b) निगम द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा से एक निर्दिष्ट अवधि के लिए या स्थायी रूप से वर्जित किया जाएगा ;
- c) यदि वह पहले ही निगम में शामिल हो गया है तो उसकी सेवा समाप्त की जाएगी ।

14. बायोमीट्रिक डेटा प्राप्त करना और सत्यापन:

- a. निम्नलिखित चरणों में भर्ती की प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों के बायोमीट्रिक डेटा (दाएं अंगूठे का निशान या अन्य) और उनकी तस्वीर ली जाएगी और उनका सत्यापन होगा:
 - (i) प्रारंभिक/ऑनलाइन परीक्षा शुरू होने से पहले;
 - (ii) मुख्य परीक्षा के दौरान प्रवेश और निकास के समय;
 - (iii) साक्षात्कार से पहले दस्तावेज सत्यापन के समय;
 - (iv) प्रशिक्षण के लिए रिपोर्टिंग के समय।
- b. बायोमीट्रिक डेटा के संबंध में प्राधिकारी का (मैच होना या न होना) निर्णय अंतिम होगा और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा ।
- c. उपरोक्त किसी भी अवसर पर बायोमीट्रिक कैप्चरिंग/सत्यापन की प्रक्रिया में भाग लेने से इंकार करने से उम्मीदवारी रद्द हो सकती है ।
- d. यदि उंगलियां लेपित (मुद्रांकित स्याही/मेहँदी/रंग आदि) हो तो उन्हें अच्छी तरह से धोना और सुनिश्चित करें ताकि परीक्षा/साक्षात्कार/ज्वाइनिंग डे से पहले कोटिंग/लेप पूरी तरह से हट जाए ।
- e. यदि उंगलिया गंदी है तो , उंगली प्रिंट (बायोमेट्रिक) देने के समय उन्हें अच्छी तरह से धो ले और सूखा ले
- f. सुनिश्चित करें कि दोनों हाथों की उंगलियां सूखी हैं । यदि उंगलियां नम हैं, तो उन्हें सुखाने के लिए प्रत्येक अंगुली को पोंछ लें ।
- g. यदि कैप्चर किए जानेवाली प्राथमिक अंगुली (दायां अंगूठा) घायल/क्षतिग्रस्त है, तो तुरंत परीक्षा केंद्र में संबंधित प्राधिकारी को सूचित करें । ऐसे मामलों में अन्य उंगलियों, टोज आदि के छाप को लिया जा सकता है ।
- h. कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त उल्लिखित अवसरों के अलावा, एलआईसी के पास अन्य चरणों में भी उम्मीदवारों के बायोमीट्रिक आंकड़ों का अभिग्रहण/सत्यापन करने का अधिकार सुरक्षित है ।

15. आवेदन कैसे करें:

निम्न हेतु विस्तृत दिशानिर्देश / प्रक्रिया -

- A. आवेदन पंजीकरण
- B. शुल्क का भुगतान
- C. दस्तावेज स्कैन और अपलोड

उम्मीदवार 20.05.2019 से 09.06.2019 तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं और आवेदन का कोई अन्य तरीका स्वीकार्य नहीं होगा।

पंजीकरण से पहले ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें

ऑनलाईन आवेदन से पहले, उम्मीदवारों को करना चाहिए -

- (i) स्कैन करें
 - . फोटोग्राफ (4.5cmx 3.5cm)
 - . हस्ताक्षर (काली स्याही के साथ)
 - . बायां अंगुठे का निशान (श्वेत पत्र पर काली या नीली स्याही से)
 - . एक हस्तलिखित घोषणा (काली स्याही से श्वेत पत्र पर) (नीचे दिया गया पाठ) यह सुनिश्चित करते हुए कि ये सभी स्कैन किए गए दस्तावेज बिन्दु 'C' के अंतर्गत दिए गए आवश्यक विनिर्देशों का पालन करें।
- (ii) कॅपिटल लैटर्स में किए गए हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- (iii) बाएं अंगुठे के निशान को ठीक से स्कैन किया जाना चाहिए और धब्बा नहीं होना चाहिए। (यदि किसी उम्मेदवार का बायां अंगुठा नहीं है, तो वह आवेदन करने के लिए अपने दाएं अंगुठे का उपयोग कर सकता है।)
- (iv) हस्तालिखित घोषणामें क्या लिखना है यह निम्न लिखित है।—
“I, _____ (Name of the candidate), hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required.”
- (v) उपरोक्त हस्तलिखित घोषणा उम्मीदवार की लिखावट और अंग्रेजी में ही होनी चाहिए। यदि इसे किसी अन्य द्वारा या किसी अन्य भाषा में लिखी और अपलोड की जाती है, तो आवेदन को अमान्य माना जाएगा।
- (vi) आवश्यक आवेदन शुल्क/सूचना प्रभारों का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आवश्यक विवरण/दस्तावेज तैयार रखें।
- (vii) अपने पास एक वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रखें, जिसे इस भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने तक सक्रिय रखा जाना चाहिए। एलआईसी परीक्षा आदि के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए पंजीकृत ई-मेल आईडी के माध्यम से सूचना भेज सकती है। यदि किसी उम्मेदवार के पास वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी नहीं है तो उन्हें ऑन लाइन आवेदन करने से पहले अपना नया ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर बना लेना चाहिए और दोनों को आगे के लिये बनाए रखना चाहिए।

आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क (नॉन रिफंडेबल) का ऑनलाइन शुल्क का भुगतान: 20.05.2019 से 09.06.2019।

आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क के ऑनलाइन भुगतान के लिए बैंक लेनदेन शुल्क उम्मीदवार को वहन करना होगा।

A. आवेदन पंजीकरण:

उम्मीदवार को "Careers" शीर्षक के तहत एलआईसी की वेबसाइट <http://www.licindia.in/Bottom-Links/careers> के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदन के अन्य साधनों/साधनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा

1. **01.05.2019** को पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवार एलआईसी की वेबसाइट <http://www.licindia.in/Bottom-Links/careers> पर जाएं और "ऑन लाइन एलआईसी एडिओ भर्ती परीक्षा 2018-19 के लिए आवेदन" लिंक खोलने के लिए "Careers" शीर्षक के तहत लागू इन करें। यह लिंक उम्मीदवारों को ऑनलाइन पंजीकरण पृष्ठ पर रीडायरेक्ट करता है।
2. A candidate can apply under multiple categories (i.e. Open Market, Agents Category or Employee Category) subject to eligibility criteria prescribed for that particular category with regard to age/qualification/experience.
3. In case candidate applies more than once under a single category (i.e. Open Market, Agents Category or Employee Category) only the latest application will be considered.
4. आवेदन के लिए पंजीकरण करने के लिए, "**Click here for New Registration**" टैब को चुनें और "अपना नाम, संपर्क विवरण और ईमेल आईडी डालें। अब एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड सिस्टम द्वारा जनरेट किया जाएगा और स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। उम्मीदवार को यह प्रोविजनल पंजीकरण क्रमांक और पासवर्ड को नोट करना चाहिए। प्रोविजनल पंजीकरण क्रमांक और पासवर्ड दर्शाने वाला एक ईमेल और एसएमएस भी भेजा जाएगा।
5. यदि उम्मीदवार आवेदन पत्र को एक ही रूप में / एक ही बार पूरा नहीं कर पाता है, तो वह "सेव एंड नेक्स्ट" टैब चुनकर पहले से भरी जानकारी को सुरक्षित रख सकता है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करने से पहले उम्मीदवारों को "सेव एंड नेक्स्ट" टैब की सुविधा इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है ताकि वो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में भरे गए जानकारी को सावधानीपूर्वक जांच कर सकें और जरूरत होने पर सुधार कर सकें।
6. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में भरे गए विवरणों को सावधानीपूर्वक भरें और जांच करें क्योंकि अंतिम सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा / बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पिता/पति आदि का नाम आवेदन फॉर्म में सही ढंग से स्पष्ट करें। सभ्य नाम की स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए जैसे की प्रमाण पत्र/मार्क शीट/पहचान प्रमाणपत्र में दिखाई देता है। पाया गया कोई भी बदलाव/परिवर्तन उम्मीदवारी को अयोग्य ठहरा सकता है।
8. अपने जानकारी की पुष्टि करें और 'वैलिडेट यूअर डिटेल्स' और 'सेव एंड नेक्स्ट' बटन पर क्लिक करके अपने आवेदन को सेव करें।
9. उम्मीदवार बिंदू "C" के तहत विस्तृत फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैनिंग और अपलोड के लिए दिशा-निर्देशों में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
10. उम्मीदवार आवेदन फॉर्म की अन्य विवरणों/जानकारीयां भरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
11. अंतिम जमा करने से पहले पूरे आवेदन फॉर्म की पुष्टि करने के लिए 'प्रिव्यू' टैब पर क्लिक करें और पूरे आवेदन फॉर्म की जांच करें।
12. यदि आवश्यक हो, तो जानकारीयां संशोधित करें और आपके द्वारा अपलोड किए गए फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और आपके द्वारा भरी गए अन्य जानकारीयां सही हैं, ये सत्यापित और सुनिश्चित करने के बाद 'फाइनल सबमिट' पर क्लिक कर दें।
13. 'भुगतान (पेमेंट)' टैब पर क्लिक करें और भुगतान के लिए आगे बढ़ें।
14. 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।

B. शुल्क का भुगतान:

उम्मीदवार को आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क (नॉन रिफंडेबल) का भुगतान ऑन लाइन मोड के माध्यम से केवल निम्नानुसार करना होगा-

| | |
|-------------------------------------|--|
| अ.जा./ अ.ज.जा. उम्मीदवारों के लिए | इंटीमेशन चार्जस रुपए 50/- प्लस ट्रांजेक्शन चार्जस |
| अ.जा./ अ.ज.जा. उम्मीदवारों के अलावा | आवेदन शुल्क-सह-सूचना शुल्क रुपये 600 प्लस ट्रांजेक्शन चार्जस |

1. आवेदन फॉर्म भुगतान गेटवे के साथ एकीकृत है और भुगतान की प्रक्रिया के निर्देशों का पालन करके पूरा किया जा सकता है ।
2. डेबिट कार्ड (रुपे/वीजा/मास्टरकार्ड/मेस्ट्रो), क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्ड/मोबाइल वॉलेट का उपयोग करके भुगतान किया जा सकता है ।
3. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में अपनी भुगतान संबंधी जानकारी जमा करने के बाद कृपया सर्वर से सूचना की प्रतीक्षा करें । दोहरे भुगतान से बचने के लिए वेबपेज को 'बैंक' या 'रेफ्रेश' न करें ।
4. ट्रांजेक्शन के सफल होने पर ई-रसीद जनरेट होगी ।
5. ई-रसीद न मिलने पर भुगतान विफलता (पएमेंट फेलियर) की सूचना आएगी । भुगतान विफल/असफल होने पर उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए दोबारा लॉगइन करें और भुगतान की प्रक्रिया को दोहराएं ।
6. उम्मीदवारों को शुल्क विवरण युक्त ई-रसीद और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट लेना होगा । कृपया ध्यान दें कि यदि यह जनरेट नहीं होते हैं तो सम्भव है की ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सफल नहीं हुई है ।
7. क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए: सभी शुल्क भारतीय रुपये में सूचीबद्ध हैं । यदि आप एक गैर-भारतीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, तो आपका बैंक प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर उसको स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित कर देगा ।
8. अपने डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, आपका लेन-देन पूरा होने के बाद कृपया ब्राउज़र विंडो बंद करें ।
9. शुल्क भुगतान के बाद शुल्क विवरण युक्त आवेदन फॉर्म मुद्रित (प्रिंट) करने की सुविधा है ।

C. दस्तावेजों को स्कैन करने और अपलोड करने के लिए दिशानिर्देश:

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले उम्मीदवार के पास नीचे दी गई विनिर्देशों के अनुसार उसकी फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैन (डिजिटल) की गई इमेज रखनी होगी ।

फोटोग्राफ इमेज:-

- फोटोग्राफ हाल ही में पासपोर्ट साईज रंगीन तस्वीर होनी चाहिए ।
- यह सुनिश्चित करें कि तस्वीर रंगीन हो, एक हल्के रंग के विशेषतः सफेद रंग के बैकग्राउंड पर ली गई हो ।
- बिना कोई हावभाव के कैमरे में सीधा देखते हुए फोटो खिंचवाएं ।
- अगर तस्वीर को दिन में/ धूप पर लिया जाए, तो आपके पीछे सूरज हो, या फिर खुद को छांव में आ जाए, ताकि आप की आंखे बंद या स्क्वैटिंग न हों या बहुत ज्यादा छाया न आए । अगर आपको फ्लैश का इस्तेमाल करना है , सुनिश्चित करें कि "लाल आंखे" ना हो ।

- अगर आप चश्मा पहनते हैं तो ध्यान रखें की उन पर कोई रिफ्लेक्शन (प्रतिबिंब) ना दिखे और आपकी आंखें सफ देखी जा सकें।
- टोपी, हॉट और काले चश्मे स्वीकार्य नहीं हैं। सिर ढकने का धार्मिक प्रतिक स्विकृत है लेकिन ध्यान रखे कि उनसे आपका चेहरा ढकना नहीं चाहिए।
- आयाम २०० X २३० पिक्सल (विशेषतः)
- फ़ाइल का आकार 20kb से 50 kb के बीच होना चाहिए।
- यह सुनिश्चित करें कि स्कैन छवि का आकार 50kb से अधिक नहीं है। अगर फाइल का साईज़ 50 kb से अधिक है, तो स्कैनिंग के दौरान स्कैनर की सेटिंग्स में बदलाव करें जैसे DPI रिज़ॉल्यूशन, रंगों की संख्या आदि।
- फोटो के स्थान पर फोटो अपलोड नहीं होने पर परीक्षा के लिए प्रवेश रद्द/अस्वीकृत किया जाएगा। इसके लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- उम्मीदवार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि फोटो की जगह पर फोटो और सिग्नेचर की जगह पर सिग्नेचर अपलोड की जाए। यदि फोटो के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर ठीक से अपलोड नहीं की जाती है तो उम्मेदवार को परीक्षा के लिए बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- उम्मीदवार सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी फोटो आवश्यक साईज़ में अपलोड हो गई है और चेहरा साफ दिख रहा है।

हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हाथ से लिखी गई घोषणा की छवि:-

- आवेदक को काली स्याही के पेन से सफेद कागज पर हस्ताक्षर करना है।
- आवेदक को सफेद कागज पर अपना बायां अंगूठा छाप काले या नीले रंग की स्याही से लगाना है।
- आवेदक को सफेद कागज पर काली स्याही से स्पष्ट रूप से अंग्रेजी में घोषणा लिखनी होगी।
- हस्ताक्षर, बायां अंगूठा छाप और हस्तलिखित घोषणा आवेदक की ही होनी चाहिए न कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा।
- हस्ताक्षर का इस्तेमाल कॉल लेटर पर डालने और जहां भी जरूरी होगा, वहाँ किया जाएगा।
- अगर परीक्षा के समय हस्ताक्षरित उपस्थिति पत्रक या कॉल लेटर पर आवेदक के हस्ताक्षर, अपलोड किए गए हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते हैं तो आवेदक अयोग्य हो जाएगा।
- कैपिटल लेटर्स में हस्ताक्षर/हस्तलिखित घोषणा स्वीकार नहीं की जाएगी।

हस्ताक्षर की पत्रिका:

jpg फॉर्मेट आयाम में हस्ताक्षर
छवि १४० x ६० पिक्सल (विशेषतः)
फ़ाइल का आकार 10kb -20 केबी
स्कैन छवि का आकार 20 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए।

बायां अंगूठा छाप:

- आवेदक को सफेद कागज पर अपना बायां अंगूठा छाप काले या नीले रंग की स्याही से लगाना है।
- हस्तलिखित घोषणा आवेदक की होनी चाहिए न कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा।
- फ़ाइल प्रकार: jpg/jpeg
- आयाम: 200 डीपीआई में 240 x 240 पिक्सल (विशेषतः आवश्यक गुणवत्ता के लिए) यानी 3 सेमी * 3 सेमी (चौड़ाई * ऊंचाई)
- फ़ाइल का आकार: 20 KB – 50 KB

हस्तलिखित घोषणा:

- हस्तलिखित घोषणा अपेक्षा के अनुरूप होनी चाहिए।
- हस्तलिखित घोषणा कैपिटल अक्षरों में नहीं लिखी जानी चाहिए।

- आवेदक को सफेद कागज पर काले या नीली स्याही से अंग्रेजी में स्पष्ट रूप से घोषणा लिखनी है ।
- हस्तलिखित घोषणा आवेदक की होनी चाहिए न कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ।
- हस्तलिखित घोषणा
 - फ़ाइल प्रकार: **jpg/jpeg**
 - आयाम: **200 DPI** में **800 x 400** पिक्सेल में (विशेषतः आवश्यक गुणवत्ता के लिए) अर्थात **10** सेमी * **5** सेमी (चौड़ाई * ऊंचाई)
 - फ़ाइल का आकार: **50 KB – 100KB**

दस्तावेजों स्कैनिंग:

- स्कैनर रिझोल्यूशन को न्यूनतम **200** डीपीआई (डॉट्स प्रति इंच) पर सेट करें।
 - सही रंग के लिए ट्रू कलर पर सेट करें।
 - स्कैनर में छवि को बाएँ अंगूठे के निशान /हस्तलिखित घोषणा के किनारी तक स्कैन करें। इसके बाद ईमेज को अंतिम साईज़ (जैसा की उपर बताया गया है) पर काटने के लिए अपलोड एडिट का उपयोग करें।
 - इमेज फ़ाइल **JPG** या **JPEG** स्वरूप होना चाहिए। उदाहरण तौर पर एक फ़ाइल नाम है: **image01.jpg** या **image01.jpeg**
 - फ़ोल्डर में फ़ाइलों को सूचीबद्ध करें या फ़ाइल के ईमेज आइकन पर माउस ले जाकर ईमेज के आयाम को देखाजासकता है।
 - **MS Windows/MOffice** का उपयोग करने वाले उम्मीदवार आसानी से एमएस पेंट या **MOffice** चित्र प्रबंधक का उपयोग करके **jpeg** फॉर्मेट सेव किए गए दस्तावेज फ़ाइल मेन्यु में 'सेव अज' विकल्प का ईस्तेमाल करके **jpg/. jpeg** फॉर्मेट में सेव किए जा सकते हैं। क्रॉप और फिर रिसाईज़ विकल्प का उपयोग करसाईज़ में बदलाव किया जा सकता है।
- अगर फ़ाइल का आकार और फॉर्मेट निर्धारित स्वरूप के अनुसार नहीं हैं, तो एक त्रुटि संदेश (एरर मेसेज) प्रदर्शित किया जाएगा।

-ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय उम्मीदवार को फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएँ अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा अपलोड करने के लिए एक लिंक उपलब्ध कराया जाएगा।

दस्तावेज़ अपलोड करने की प्रक्रिया:

- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के दौरान उम्मीदवार को बाएँ अंगूठे का निशान और हस्तलिखित अपलोड करने के लिए अलग से लिंक की सुविधा दी जाएगी।
- संबंधित लिंक "अपलोड बाएँ अंगूठे का निशान और हस्तलिखित" पर क्लिक करें।
- जिस लोकेशन पर बाएँ अंगूठे का निशान और हस्तलिखित स्कैन फ़ाइल सेव हो वहाँ से सिलेक्ट करे।
- उस पर क्लिक करके फ़ाइल सिलेक्ट करे।
- ओपन/अपलोड ' बटन पर क्लिक करें।आपका ऑनलाइन आवेदन तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि आप अपने बाएँ अंगूठे का निशान और हाथ से लिखित घोषणापत्र को निर्दिष्ट के रूप में अपलोड नहीं करते।
- फ़ाइल का आकार और स्वरूप के निर्धारित माप के अनुसार नहीं हैं, तो एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।
- अपलोड की गई इमेज का पूर्वावलोकन, इमेज की गुणवत्ता को देखने में मदद करेगा। अस्पष्ट/smudged के मामले में, इसे अपेक्षित स्पष्टता/गुणवत्ता पर पुनः अपलोड किया जा सकता है।

नोट:

- (1) यदि बाएं अंगूठे का निशान या हाथ से लिखी गई घोषणा अस्पष्ट हो, तो उम्मीदवार के आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।
- (2) ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में बाएं अंगूठे का निशान / हाथ से लिखी गई घोषणा अपलोड करने के बाद उम्मीदवारों को यह जांचना चाहिए कि इमेज स्पष्ट हैं और उन्हें सही तरीके से अपलोड किया गया है। यदि बाएं अंगूठे का निशान या हाथ से लिखित घोषणा प्रमुखता से दिखाई नहीं देती है, तो उम्मीदवार फॉर्म जमा करने से पहले अपना आवेदन एडिट कर सकता है और बाएं अंगूठे का निशान / हाथ से लिखी गई घोषणा को फिर से अपलोड कर सकता है।
- (3) ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपने सिस्टम से जनरेट हुए ऑनलाइन आवेदन फार्म का प्रिंटआउट लेने की सलाह दी जाती है।

ऑनलाइन आवेदन सही तरीके से भरने के लिए उम्मीदवार पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। आवेदक द्वारा की गई त्रुटियों के कारण अमान्य आवेदनों के मामले में, इस प्रकार संग्रहित आवेदन राशि की वापसी के लिए निगम द्वारा कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अंतिम क्षणों की भीड़ से बचने के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑन-लाइन पंजीकरण करें और आवेदन शुल्क/सूचना (जहां भी लागू हो) का भुगतान शीघ्रतापूर्वक कर दें।

16. ऑनलाइन परीक्षा के लिए कॉल लेटर जारी करना

उम्मीदवार को एलआईसी वेब साइट पर दिये गए लिंक से ऑनलाइन परीक्षा के कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए 29.06.2019 के उपरांत वेबसाइट पर <http://www.licindia.in/Bottom-Links/careers> संपर्क करें। कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए सूचना ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से भी भेजी जाएगी। एक बार उम्मीदवार संबंधित लिंक पर क्लिक करता है, वह कॉल लेटर डाउनलोड के लिए विंडो एक्सेस कर सकता है। उम्मीदवार को कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए (i) पंजीकरण संख्या/रोल नंबर, (ii) पासवर्ड (iii) जन्म तिथि का इस्तमाल करने की जरूरत है। उम्मीदवार कॉल लेटर पर हाल ही में पहचान जाने योग्य फोटोग्राफ चिपकाए। विशेषतः वही जो पंजीकरण के समय दी गई हो और परीक्षा केंद्र पर, जैसे की कॉल लेटर में अपेक्षित है, (i) कॉल लेटर (ii) मूल फोटो पहचान प्रमाण के रूप में उपस्थित हो।

17. ऑनलाइन परीक्षा के लिए पहचान सत्यापन :

उम्मीदवार को कॉल लेटर पर हाल में खिंचवाई गई पहचान योग्य फोटोग्राफ चिपकाना और परीक्षा केंद्र पर कॉल लेटर और पहचान पत्र के मूल कॉपी के साथ उपस्थित होना आवश्यक है। परीक्षा हॉल में, उम्मीदवार की वर्तमान में मान्य फोटो पहचान जैसे पैन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर कार्ड/बैंक पासबुक के साथ फोटो/फोटो पहचान प्रमाण के साथ एक राजपत्रित अधिकारीक लेटर हेड पर जारी फोटो पहचान प्रमाण/ किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज/विश्वविद्यालय/द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र/ कर्मचारी आईडी /आधार कार्ड के साथ फोटोग्राफ/फोटोग्राफसहित बार काउंसिल पहचान पत्र के साथ कॉल लेटर सत्यापन के लिए इनविजिलेटर को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उम्मीदवार की पहचान, कॉल लेटर, उपस्थिति सूची और जमा किए गए आवश्यक दस्तावेजों में उसके विवरण के साथ, सत्यापित की जाएगी। यदि उम्मीदवार की पहचान संदेह में हो तो उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

ई-आधार कार्ड और राशन कार्ड इस उद्देश्य के लिए वैध पहचान प्रमाण पत्र नहीं हैं ।

नोट: उम्मीदवार को परीक्षा में भाग लेते समय मूल रूप से फोटो पहचान प्रमाण प्रस्तुत करना होगा और परीक्षा कॉल लेटर के साथ फोटो पहचान पत्र की फोटोकॉपी जमा करानी होगी, जिसके बिना उन्हें परीक्षा लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी । उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि कॉल पत्र पर प्रदर्शित होने के रूप में नाम (पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान प्रदान की) वास्तव में नाम के रूप में फोटो पहचान प्रमाण पर प्रदर्शित होने से मेल खाना चाहिए । जिन महिला उम्मीदवारों ने विवाह के बाद प्रथम/अंतिम/मध्य नाम परिवर्तित किया है, उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए । यदि नाम, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर के बीच कोई बेमेल है तो उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है । जिन उम्मीदवारों ने अपना नाम बदल लिया है, उनके मामले में उन्हें केवल मूल राजपत्र अधिसूचना/उनके मूल विवाह प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र का मूल रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी ।

18. देर से आनेवाले उम्मीदवार:

परीक्षा के लिए कॉल लेटर पर निर्दिष्ट रिपोर्टिंग समय के बाद देरी से सूचना देने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी । कॉल लेटर पर उल्लिखित रिपोर्टिंग समय, परीक्षण के प्रारंभ होने के समय से पहले का है जिसमें विभिन्न औपचारिकताओं जैसे सत्यापन और विभिन्न अपेक्षित दस्तावेजों का एकत्रण, बायोमीट्रिक डाटा कैप्चरिंग, लॉग इन जैसे विभिन्न औपचारिकता को लगनेवाला समय शामिल है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए **प्रारंभिक परीक्षा** की अवधि एक घंटा है। उम्मीदवारों को विभिन्न औपचारिकताओं जैसे अपेक्षित दस्तावेज सत्यापन और संग्रहण सत्यापन और संग्रहण, बायोमीट्रिक डाटा कैप्चर, लॉग इन करना, अनुदेश देना आदि के लिए विभिन्न औपचारिकताओं के लिए अपेक्षित समय सहित लगभग तीन घंटे के लिए कार्यक्रम स्थल पर जाना अपेक्षित है ।

मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षा की अवधि दो घंटे की होती है लेकिन उम्मीदवारों को विभिन्न औपचारिकताओं जैसे अपेक्षित दस्तावेज सत्यापन और संग्रहण सत्यापन और संग्रहण, बायोमीट्रिक डाटा कैप्चर, लॉग इन करना, अनुदेश देना आदि के लिए विभिन्न औपचारिकताओं के लिए अपेक्षित समय सहित लगभग तीन घंटे के लिए कार्यक्रम स्थल पर जाना अपेक्षित है ।

19. परीक्षा के प्रशासन में कुछ समस्या की पुनरावृत्ति के लिए संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है जो परीक्षण वितरण और/ उस स्थिति में इस समस्या को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, जिसमें आवश्यक समझे जाने पर उम्मीदवारों को दूसरे केंद्रों में शिफ्ट करने, परीक्षा में देरी या दूसरी परीक्षा आयोजित करने कार्य शामिल हो सकता है । इस संबंध में निगम का निर्णय अंतिम होगा । इस तरह के बदलाव को अस्वीकार करने के इच्छुक उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी खो देंगे ।

20. यदि परीक्षा एक से अधिक सत्र में आयोजित की जाती है, तो विभिन्न सत्रों के दौरान स्कोर को सत्रों में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न परीक्षण बैटरियों के कठिनाई स्तर में मामूली अंतर के लिए समायोजित करने के लिए बराबर किया जाएगा । अगर नोड्स क्षमता कम है या किसी भी केंद्र पर या किसी भी उम्मीदवार के लिए कुछ तकनीकी व्यवधान हो तो एक से अधिक सत्र की आवश्यकता होती है ।

21. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अगर वे ऑन लाइन परीक्षण में अर्हता प्राप्त करते हैं तो उन्हें **साक्षात्कार के समय** उनके साथ निम्नलिखित के मूल रूप में (जो संबन्धित हो) और सत्यापन के लिए प्रत्येक दस्तावेज की सत्यापित फोटोकॉपी का एक सेट तैयार रखें।

(1) विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट और/अथवा भारतीय बीमा संस्थान, मुंबई की फेलोशिप प्रमाणपत्र, अभिकर्ता व भा.जी.बी.नि. कर्मचारियों के लिए (2) यूनिवर्सिटी द्वारा निर्गत स्नातक उपाधि प्रमाणपत्र और/या भारत के बीमा संस्थान, मुंबई के फेलोशिप के प्रमाण पत्र और/या एक विश्वविद्यालय से विपणन में विपणन या स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रमाणपत्र में व्यवसाय प्रशासन में परास्नातक डिग्री प्रमाण पत्र या एक संस्थान द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, अन्य श्रेणियों के लिए (3) एस एस सी/ एच एस सी प्रमाणपत्र जिसमें जनमदिन और साल का जिक्र हो (4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण-पत्र (5) अन्य श्रेणी के आवेदकों के लाईफ इन्सुरंस इंडस्ट्री में कम से कम दो साल का विक्रय / प्रशासकीय अनुभव प्रमाणपत्र (6) पूर्व सैनिक संबंधित प्रमाणपत्र के मामले में डिस्चार्ज प्रमाणपत्र (7) ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का दावा करने के लिए संबन्धित प्रमाणपत्र ।

22. महत्वपूर्ण दिशानिर्देश:

- (i) आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सभी पात्रता शर्तों और विशेषकर आयु, योग्यता, जाति (अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग /आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए) की जांच करके संतुष्ट हो लें । जो उम्मीदवार पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते हैं उन्हें भर्ती/चयन के किसी भी स्तर पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है ।अपात्र उम्मीदवारों द्वारा अदा की जाने वाली फीस/सूचना शुल्कों को जब्त कर लिया जाएगा । उम्मीदवार की पात्रता, चयन और भर्ती से संबंधित अन्य किसी भी मामले में निगम का निर्णय अंतिम होगा और उम्मीदवार के लिए बाध्यकारी होगा । इस संबंध में एलआईसी द्वारा किसी पत्राचार अथवा व्यक्तिगत पूछताछ को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
- (ii) उम्मीदवारों के पास वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी होना अनिवार्य है जिसे इस भर्ती परियोजना के दौरान सक्रिय रखा जाना चाहिए । भर्ती अभिकरण पंजीकृत ई-मेल आईडी के माध्यम से ऑन-लाइन परीक्षण, साक्षात्कार आदि के लिए कॉल पत्रों के बारे में सूचना भेज सकता है । किसी भी परिस्थिति में उसे किसी अन्य व्यक्ति को ई-मेल आईडी साझा/उल्लेख करना चाहिए । किसी उम्मीदवार के पास व्यक्तिगत ई-मेल आईडी न होने की स्थिति में ऑन लाइन आवेदन करने से पहले उसे अपना नया ई-मेल आईडी बनाना चाहिए । उम्मीदवारों को जन्मतिथि के ब्योरे, शैक्षणिक योग्यता, जाति, भुगतान का ब्योरा, अन्य व्यक्तिगत विवरण आदि तैयार रखना होता है क्योंकि इन्हें ऑन लाइन आवेदन में दर्ज करना होता है ।
- (iii) ऑन लाइन आवेदन करने के बाद उम्मीदवारों को एक ए-4 साइज के पेपर पर एप्लीकेशन के प्रिंट आउट तैयार कर सिस्टम से प्राप्त करना चाहिए और उसे हस्ताक्षर करने के बाद अपने पास रखना चाहिए । कृपया इस प्रिंट आउट को भारतीय जीवन बीमा निगम को न भेजें ।
- (iv) जिन उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है उन्हें ऑन लाइन आवेदन फॉर्म के प्रिंट आउट के रूप में विधिवत हस्ताक्षरित प्रणाली प्रस्तुत करनी होगी, ऊपर उल्लिखित शुल्क की रसीद और साथ ही सभी संबंधित प्रमाणपत्रों की मूल और स्वप्रमाणित फोटोस्टेट प्रतियां भी तैयार करनी होंगी । ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकेगी ।
- (v) कोई सूचना प्रस्तुत न किए जाने के कारण उम्मीदवारी वापस लेने से भविष्य में भर्ती के लिए उम्मीदवारी को आगे बढ़ाने या बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं होगा ।
- (vi) एक बार सबमिट किए गए आवेदन को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और एक बार भुगतान किया गया आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही भविष्य में भर्ती/चयन के लिए रिजर्व में

रखा जाएगा।

(vii) पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा की सही तारीख और स्थान के बारे में अलग से सूचित किया जाएगा ।

(viii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के संबंध में जाति प्रमाण-पत्र और ईडब्ल्यूएस के लिए संगत प्रमाण-पत्र निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसी एक से निर्धारित फार्मेट में प्राप्त किए जाने चाहिए और साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए-

| | |
|---|---|
| A | जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधीश/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर /प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/ उप-विभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त जो प्रथम श्रेणी के वैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं हो |
| B | मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट |
| C | राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे नहीं |
| D | उस क्षेत्र का उप-विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार रहता है । |
| E | जहां तक तमिलनाडु से अनुसूचित जनजाति जाति के उम्मीदवारों का संबंध है, सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र स्वीकार्य है |

अ.पि.व. श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा करने के लिए, उम्मीदवारों को ऐसी जाति या समुदाय से संबंधित होना चाहिए जो मंडल आयोग और राज्य सरकारों की सूची के संबंध में दोनों सूचियों के लिए अपने मूल राज्य से (सूची के अनुसार) समान हों । आरक्षण का लाभ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, OM सं 36012/22/93-Estt (SCT) दिनांक 8.9.93 की अनुसूची के कॉलम 3 द्वारा विनिदष्ट क्रीमीलेयर से संबंधित व्यक्तियों/वर्गों पर लागू नहीं होगा । अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें जिसमें यह शामिल होना चाहिए कि वे क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं हैं । (निर्धारित प्रोफार्मा में प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर आवेदन अमान्य हो सकता है । ओबीसी प्रमाणपत्र आवेदन की तारीख के अनुसार एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए ।

(ix) अनुसूचित जातियों/जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जाति प्रमाण-पत्र के प्रारूप और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संगत प्रमाण-पत्र हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे ।

(x) प्रमाण पत्र में उल्लिखित जाति नाम को केन्द्र सरकार की सूची/अधिसूचना के साथ पत्र द्वारा पत्र का मिलान करना चाहिए ।

(xi) सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सेवारत उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा न करने पर उनकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जा सकता है ।

(xii) उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, पेजर या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी ।

(xiii) ऑन लाइन परीक्षा में प्रवेश केवल दस्तावेजों के संदर्भ में आयु/अर्हता/उम्मीदवार की श्रेणी के सत्यापन के बिना अनंतिम है । ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों को ऐसे कोई विवरण प्रस्तुत नहीं करने चाहिए जो मिथ्या, छेड़छाड़, मनगढ़ंत और/या किसी भौतिक सूचना को दबा देते हों ।

- (xiv) पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान विवरण बदलने के लिए किए गए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा जबकि भर्ती कार्य प्रगति पर है ।
- (xv) कॉल पत्र पोस्ट या किसी अन्य मोड द्वारा भेजा नहीं जाएगा । उम्मीदवारों को भेजी गई वेबसाइट से कॉल लेटर डाउनलोड करना अनिवार्य होगा ।
- (xvi) संबंधित कॉल लेटर में दिए गए स्थानों में परीक्षा ऑनलाइन कराई जाएगी । परीक्षा के लिए केन्द्र/स्थान/तिथि/सत्र में परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा
- (xvii) तथापि, एलआईसी, प्रत्युत्तर, प्रशासनिक व्यवहार्यता आदि पर निर्भर करते हुए अपने विवेकानुसार किसी भी परीक्षा केन्द्र को रद्द करने और/अथवा कुछ अन्य केन्द्रों को जोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।
- (xviii) एलआईसी के पास उम्मीदवार को उसके द्वारा चुने गए किसी भी केंद्र को आवंटित करने का अधिकार भी सुरक्षित है ।
- (xix) उम्मीदवार किसी परीक्षा केंद्र में अपने जोखिमों और खर्चों के बारे में परीक्षा के लिए उपस्थित होगा और एलआईसी किसी भी प्रकार की चोट या हानि आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा । उम्मीदवार केवल एक केंद्र का चयन कर आवेदन पत्र में केंद्र का नाम बता दें । एक बार उम्मीदवार द्वारा प्रयोग किए गए केंद्र का चयन अंतिम होगा ।
- (xx) यदि पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार "ऑनलाइन" परीक्षा के लिए किसी विशेष केंद्र का विकल्प नहीं चुनते हैं, तो एलआईसी उन उम्मीदवारों को कोई अन्य सहायक केंद्र आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है या यदि उम्मीदवारों की संख्या किसी केंद्र के लिए ऑनलाइन परीक्षा के लिए उपलब्ध क्षमता से अधिक है एलआईसी के पास उम्मीदवार को कोई अन्य केंद्र आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित है ।
- (xxi) उम्मीदवारों को सूचना ई-मेल और एसएमएस द्वारा तारीख/केन्द्र/स्थल में किसी परिवर्तन के मामले में तदनुसार सूचित किया जाएगा ।
- (xxii) परीक्षा के प्रशासन में किसी समस्या के घटित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है जिससे परीक्षण सुपूर्दगी और/ परीक्षाफल जनित करने में असफल होने की स्थिति में ऐसी समस्या को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थियों का मूवमेंट, टेस्ट में देरी शामिल हो सकती है । पुनर्परीक्षा का संचालन, परीक्षण संचालन निकाय के पूर्ण विवेकाधिकार पर होता है । उम्मीदवारों को दोबारा टेस्ट के लिए कोई क्लेम नहीं करना होगा । परीक्षण वितरण की विलंबित प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक या नहीं जाने के इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रक्रिया से सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा ।
- (xxiii) चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में पाए गए किसी उम्मीदवार द्वारा गलत सूचना देने और/या प्रक्रिया उल्लंघन करने के दृष्टान्तों से उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जा सकेगा और उसे किसी भी एलआईसी में बैठने की अनुमति नहीं होगी । भविष्य में भर्ती प्रक्रिया । यदि वर्तमान चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसी घटनाओं का पता नहीं चल पाता है लेकिन बाद में पता चलता है तो ऐसी निरर्हता भूतलक्षी प्रभाव से होगी ।
- (xxiv) उम्मीदवार को किसी भी कारण से उसकी गिरफ्तारी के बारे में किसी भी सामग्री तथ्य को छिपाना या दबाना नहीं चाहिए, या सजा या जेल के प्रति प्रतिबद्धता या किसी पूर्व नियोक्ता द्वारा किसी भी दंड या निवारक नजरबंदी के अधीन होने या निर्णय होने पर दिवालिया. ऐसे मामलों में उम्मीदवार चयन प्रक्रिया से निरर्हता के लिए उत्तरदायी होगा जैसा कि उपर्युक्त बिन्दु (23) में उल्लिखित है ।
- (xxv) चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति एलआईसी की आवश्यकता के अनुसार उनकी चिकित्सा योग्य घोषित किए जाने के अधधीन है।

- (xxvi) शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू कॉल लेटर ऑन लाइन आवेदन के समय उम्मीदवार द्वारा दिए गए ई-मेल पते पर भेजे जाएंगे। बाद में विभिन्न पतों पर पत्र भेजने के अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (xxvii) उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे कृपया वेबसाइट को आवधिक रूप से देखें और भर्ती प्रक्रिया की समाप्ति तक भर्ती से संबंधित अद्यतन जानकारी के लिए अपने ई-मेल खाते की जांच करें।
- (xxviii) एलआईसी के पास बिना कोई कारण बताए प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।
- (xxix) अंग्रेजी के अलावा अन्य संस्करण में इस विज्ञापन की व्याख्या के कारण किसी भी विवाद के मामले में, अंग्रेजी संस्करण प्रबल होगा।
- (xxx) इस विज्ञापन से उत्पन्न होने वाले दावे या विवाद के किसी भी मामले के संबंध में कोई कानूनी कार्यवाही और/ या अनुक्रिया में आवेदन केवल भोपाल में दिया जा सकता है और किसी भी विवाद की सुनवाई एकमात्र एवं विशेष क्षेत्राधिकार केवल भोपाल के न्यायालयों/ अधिकरणों/फोरम के पास होगा।
- (xxxi) किसी भी रूप में प्रचार करने से उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

क्षेत्रीय प्रबन्धक

स्थान : भोपाल

तिथि : 20.05.2019